न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल के समक्ष म.प्र. निगरानी 2219-II-15

श्याम सुन्दर वर्मा पिता ऊंकार लाल
वर्मा जाति कलाल, उम्र 53 वर्ष,
निवासी– वार्ड नं. 5, खिलचीपुर, जिला राजगढ़ ....आवेदक / निगरानीकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

रामप्रसाद पिता गंगाराम, जाति बलाई,
निवासी – खिलचीपुर, जिला राजगढ़ ....अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत पुनरीक्षण / निगरानी धारा 50 भू–राजस्व संहिता म.प्र.

श्रीमान्

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता राजस्व निरीक्षक महोदय कार्यालय खिलचीपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण क्र. 6 / अ–12 / 2014–15 में प्रस्तुत पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा, 18.05.2015 एवं अंतिम पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 से असंतुष्ट व दुखी होकर, उक्त सीमांकन प्रकरण में की गयी अवैधानिक कार्यवाही एवं अंतिम आदेश को निरस्त करने हेतु श्रीमान् के समक्ष निम्नानुसार उक्त पुनरीक्षण प्रस्तुत है :–

1. यह कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि नगर खिलचीपुर, प.ह.न. 57, सर्वे नं. 64 / 4, 66 / 2, 67 / 2 / 1 / 1, 73 रकबा क्रमशः 0.006, 0.004, 0.041, 0.061 स्थित है। जिस पर रियासत समय से ही उसके पिता ऊंकार लाल वर्मा तथा उनकी मृत्यु पश्चात आवेदक का आधिपत्य चला आ रहा है।

2. यह कि अनावेदक गैरपुनरीक्षणकर्ता एवं अन्य लोगों के नाम पर राजस्व दस्तावेज में सर्वे नं. 72 रकबा 0.012 की भूमि है। परन्तु अनावेदक एवं अन्य लोगों का जिनके नाम पर राजस्व दस्तावेज में उक्त भूमि अंकित है उनका कभी भी एक क्षण के लिए भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा। मात्र इनका राजस्व दस्तावेज में नाम लगा होने के कारण आवेदक पुनरीक्षणकर्ता की चरण 1 में वर्णित भूमि में सर्वे नं. 72 की भूमि होना बता रहे है। इस कारण अनावेदक पुनरीक्षकणकर्ता ने राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त खिलचीपुर से मिलीभगत करके एक आवेदन सर्वे नं. 72 की भूमि का सीमांकन करने हेतु दिया, जबकि राजस्व अभिलेख में अन्य खातेदारों के नाम श्रीमती गीता बाई, श्रीमती जानी बाई, कुमारी ज्योति, कुमारी राधिका, सरपरस्त माता गीता बाई के होने के बावजूद भी उनके नाम से उक्त आवेदन नहीं लगाया गया है क्योंकि उनको मालूम है कि उक्त सर्वे नं. 72 की भूमि पर हमारा एवं हमारे पूर्वजों का कभी कब्जा रहा ही नहीं है और न ही उनको सर्वे नं. 72 की चतुर्सीमा का कोई ज्ञान है। इस कारण अनावेदक ने उसकी राजस्व निरीक्षक से मिलीभगत के चलते उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक का भी उल्लेख नहीं है। उक्त आवेदन पत्र से आसपास के

श्यामसुन्दर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2219–दो/2015 जिला–राजगढ़

श्याम सुन्दर वर्मा विरूद्ध रामप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक के हस्ताक्षर
29–05–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक खिलचीपुर, जिला–राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 06/अ–12/2014–15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर, जिला–राजगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23–07–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 29/5/19 सदस्य	